बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स / ई–मेल

पत्रांक–8 / म0द0वि0यो0–35–02 / 14–267 पटना–15, दिनांक–08/09/2014

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

विषय :– **बिहार महादलित विकास योजना अन्तर्गत वासरहित महादलित परिवारों को वास योग्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु "अभियान बसेरा" प्रारंभ करने के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि राज्य सरकार ने वासहीन महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के आलोक में वासहीन महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009–10 से अभियान चलाया जा रहा है। तदनुसार सभी जिलों में दो चरणों में सर्वेक्षण कराकर वासहीन महादलित परिवारों को चिन्हित किया गया था। सरकार का निर्णय था कि इन चिन्हित परिवारों को वर्ष 2009–10 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में वास भूमि दे दी जाय।

2 परन्तु समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि अभी भी लगभग 35 हजार सर्वेक्षित वास रहित परिवार ऐसे हैं जिन्हें वास योग्य भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। फलतः इस अभियान को अगले दो, वर्षों अर्थात् वर्ष 2015–16 तक, के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना है कि वर्ष 2015–16 के बाद राज्य में कोई भी महादलित परिवार वास योग्य भूमि से वंचित न रह जाय। यह कहना न होगा कि वास योग्य भूमि का संबंध मनुष्य की पहचान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अतएव यह आवश्यक है कि वासहीन महादलित परिवारों को इस समय सीमा के अन्तर्गत वास योग्य भूमि उपलब्ध करा दी जाय। इसके लिए "अभियान बसेरा" के नाम से आगामी 2 वर्षों तक अभियान चलाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

D:\Principal Secretary\letter 11.21.13.doc

3. अभियान बसेरा के अन्तर्गत निम्न कार्रवाईयाँ सभी जिलों में अविलंब प्रारंभ कर दी जायँ –

(i) जिन वासहीन महादलित परिवारों को बिहार प्रश्रय प्राप्त गृह स्थल रैयती अधिनियम (BPPHT Act) के अन्तर्गत जमीन का पर्चा देय हो, सर्वप्रथम उन परिवारों को इस अभियान के अन्तर्गत पर्चा का वितरण किया जायेगा।

(ii) जिन्हें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वास भूमि का पर्चा देय नहीं हो, उन्हें उपलब्ध गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोवस्ती एतद् विषयक पूर्व निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी। यह बन्दोवस्ती वास भूमि के लिए तीन डिसमिल प्रति परिवार की दर से होगी।

(iii) यदि उपरोक्त दोनों माध्यमों से महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो तो रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 एवं विभागीय पत्रांक–191 (8) दिनांक–11.07.2014 के अनुसार वास योग्य 3 डिसमिल भूमि निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित MVR की दर पर क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) यह महत्वपूर्ण होगा कि जिन्हें भी गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम अथवा क्रय कर भूमि उपलब्ध करायी जाएगी, वह भूमि वास योग्य भूमि होनी चाहिए अर्थात् वहाँ गडढा, नाला आदि नहीं होना चाहिए। साथ ही वह भूमि आवादी से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि कलस्टर में कई परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाए। उक्त भूमि तक पहुँचने के लिए यदि सम्पर्क सड़क न हो तो विभाग की संपर्क सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो कम्यूनिटी हॉल एवं सामुदायिक चबुतरे के लिए भी आस–पास जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित करने में कठिनाई नहीं हो।

(v) जिन जमीनों को आबंटित किया जायेगा, लाभुकों के समक्ष उनकी नापी कर बन्दोवस्ती पर्चा उक्त जमीन के नक्शे, (चौहद्दी सहित) एवं जमाबंदी कायम कर लगान रसीद के साथ लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) यह देखा गया है कि कई मामलों में पर्चा तो दे दिया जाता है, परन्तु उसका भौतिक कब्जा लाभुकों को उन्हें नहीं मिलता है। इस कारण भविष्य में विवाद की संभावना रहती है। अतएव यह आवश्यक होगा कि जो जमीन बंदोबस्त की जाय वह विवाद रहित हो

एवं लाभुकों को दिए जाने वाले जमीन के नक्शे में चारों दिशा की चौहद्दी अंकित कर उसमें से सभी रैयतों के नाम दर्ज किये जायँ।

(vii) रैयती भूमि क्रय के संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति है कि भूमि का क्रय वसने वाले महादलित परिवारों की सहमति से किया जाय। अतएव भूमि चयन के उपरांत अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्वयं स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि वास योग्य है , वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा भूमि विवाद रहित है। यदि कलस्टर में भूमि क्रय की जा रही हो तो नये टोले तक संपर्क सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क की व्यवस्था की जायेगी। कलस्टर में आन्तरिक आवागमन की व्यवस्था तथा किसी सरकारी योजना से पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाय। साथ ही यदि भूमि उपलब्ध हो तो चबुतरा/सामुदायिक भवन हेतु भी भूमि कर्णांकित की जाय।

(viii) अभियान बसेरा के अन्तर्गत विशेष कैम्पों का आयोजन कर लाभुकों के बीच जमीन का वितरण किया जायेगा। उन कैम्पों में यथानुसार स्थानीय जन–प्रतिनिधि, जिले के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव एवं जिले के प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया जायेगा।

4. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कतिपय जिलों द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार शत् प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। संभव है कि अभी भी कुछ महादलित परिवार सर्वेक्षण से बंचित रह गए हों। निदेश है कि विशेष अभियान चलाकर सितम्बर माह में ही सर्वेक्षण कर चिन्हित कर लिया जाय तथा राशि की मांग की जाय।

5. अतएव अनुरोध है कि "अभियान बसेरा" के अन्तर्गत वासरहित महादलित परिवारों को उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वास योग्य भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसी भी जिले में वास भूमि रहित महादलित परिवार इस लाभ से वंचित न रह जायँ। इस अभियान के अंतर्गत पिछले माह तक का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 267 दिनांक– 08/09/2014

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलों के प्रभारी सचिव एवं प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत "अभियान बसेरा" का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम :-

माह

क्र0 सं0	अंचल का नाम	कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	*वास योग्य भूमि आवंटन की स्थिति (गत माह तक)*								कुल उपलब्धि (कॉलम 4 से 11 तक का योग)	वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवशेष परिवारों की संख्या	*प्रतिवेदित माह की उपलब्धि*								अब तक कुल उपलब्धि (कॉलम 12 एवं 23 तथा 13 एवं 24 का योग)		वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवशेष परिवारों की संख्या (कॉलम 3 में से कॉलम 25 घटाकर)	अभियुक्ति
			प्रश्रय प्राप्त रैयती अधिनियम के अन्तर्गत		गैर मजरूआ मालिक		गैर मजरूआ आम		क्रय नीति के अन्तर्गत				बी0 पी0 पी0 एच0 टी0		गैर मजरूआ मालिक		गैर मजरूआ आम		क्रय नीति के अन्तर्गत		माह की कुल उपलब्धि (कॉलम 15 से 22 तक का योग)					
			संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*